

निर्णय

(आज दिनांक 26/09/24 को घोषित किया गया)

- 1 - अभियुक्त की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34 (ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। और अभियुक्त को धारा 34 (ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा और 10000/- रुपये शब्दों में एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अर्थदंड की राशि 10000/- अदा न किए जाने पर अभियुक्त को 20 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 2- जप्तशुदा मदिरा मय केन के नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिवनी (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिवनी (म.प्र.)